

**कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा (छ0ग0)**

क्र./वाहन शाखा/2016/

79

कोरबा दिनांक :- 4th 2017

-:शासकीय वाहनों की नीलामी हेतु "तृतीय" मुहर बंद निविदा सूचना :-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्था की बंद पड़ी कुल 11 (ग्यारह) अनुपयोगी शासकीय वाहनों को मुहर बंद निविदा के द्वारा विक्रय किया जाना है, मुहर बंद निविदा पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा छ.ग. में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25.01.2017 सायं 05.30 तक है। विवरण निम्नानुसार है:-


क्र.	वाहन क्रमांक	मॉडल/वर्ष	संस्था का नाम	संस्था का नाम वर्तमान में जहां वाहन खड़ी है	वाहन का ऑफसेट प्राइज	वाहन की 5 प्रतिशत अमानत राशि (डी.डी.)	रिमार्क
1	सी.जी.02/1742	आईसर एम्बुलेंस डीजल-2002	जिला चिकि. कोरबा	जिला चिकि. परिसर	95000.00	4750.00	वाहन आबंटन आदेश CG. GOVT. DHS RAIPUR
2	सी.जी.02/ए. 0115	आईसर एम्बुलेंस डीजल -2007	जिला चिकि. कोरबा	जिला चिकि. परिसर	105000.00	5250.00	वाहन आबंटन आदेश CG. GOVT. DHS RAIPUR
3	एम.पी.26/एफ. 4538	मारुति वेन एम्बुलेंस पेट्रोल-2000	जिला चिकि. कोरबा	जिला चिकि. परिसर	8300.00	415.00	वाहन दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
4	सी.जी.02/2287	स्वराज माजदा मिनीबस-2003	जिला अंधत्व नियं. केन्द्र जि.चि.कोरबा	जिला चिकि. परिसर	48400.00	2420.00	वाहन आबंटन आदेश CG. GOVT. DHS RAIPUR
5	सी.जी.02/2340	टाटा स्पेशियो-2003	प्राथ.स्वा.के. कोरबा	मु.चि.अ. कार्या. परिसर	38500.00	1925.00	वाहन आबंटन आदेश CG. GOVT. DHS RAIPUR
6	सी.जी. 12/9911	मारुति वेन एम्बुलेंस पेट्रोल-2002	मु.चि.अ.कोरबा	मु.चि.अ. कार्या. परिसर	17200.00	860.00	वाहन दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
7	सी.जी. 02/1446	महिन्द्रा आर.टी.व्ही. एम्बुलेंस-2002	सामु.स्वा.के. कटघोरा	सामु.स्वा.के. कटघोरा परिसर	52000.00	2600.00	वाहन आबंटन आदेश CG. GOVT. DHS RAIPUR
8	सी.जी. 02/1641	स्वराज माजदा एम्बुलेंस-2002	सामु.स्वा.के. पाली	सामु.स्वा.के.पाली परिसर	55000.00	2750.00	वाहन आबंटन आदेश CG. GOVT. DHS RAIPUR
9	सी.जी. 02/3680	मारुति वेन एम्बुलेंस पेट्रोल-2004	सामु.स्वा.के. पाली	सामु.स्वा.के.पाली परिसर	5000.00	250.00	वाहन आबंटन आदेश CG. GOVT. DHS RAIPUR
10	सी.जी. 02/1656	स्वराज माजदा एम्बुलेंस-2002	सामु.स्वा.के. करतला	सामु.स्वा.के. करतला परिसर	72000.00	3600.00	वाहन आबंटन आदेश CG. GOVT. DHS RAIPUR
11	एम.पी.02/4764	स्वराज माजदा मिनीबस-2000	सामु.स्वा.के. करतला	सामु.स्वा.के. करतला परिसर	38000.00	1900.00	वाहन आबंटन आदेश MP. GOVT. DHS BHOPAL

टीप:-निविदा शर्तें कार्यालय के सूचना पटल व कोरबा जिले के शासकीय वेबसाइट www.korba.gov.in में देखी जा सकती है/प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

—: शासकीय वाहनों की नीलामी हेतु “तृतीय” मुहर बंद निविदा सूचना शर्तें :-

01. इच्छुक व्यक्ति साधे कागज अथवा कम्प्यूटर टाइपिंग द्वारा मुहर बंद निविदा दिनांक 25.01.2017 तक कार्यालयीन समय सायं 5.30 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से सील बंद लिफाफे पर जिस-जिस वाहन के लिए निविदा भरी गई है उसके समक्ष उक्त वाहन का क्रमांक तथा प्रत्येक वाहन की अमानत राशि 5 प्रतिशत अर्थात् विज्ञापन में दर्शित राशि डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) अलग-अलग वाहन के अनुसार अलग-अलग आवेदन संलग्न कर राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा, छ.ग. के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा स्वमेय निरस्त मानी जावेगी।
02. मुहर बंद निविदा में अधिकतम दर वाले निविदाकार को वाहन प्रदाय अधिकार पत्र दिया जावेगा।
03. अधिकतम दर पर भरे गये निविदाकार को सात (07) दिवस के अंदर शेष राशि डी.डी.के माध्यम से देय होगी तभी वाहन को संबंधित वाहन का अधिकार पत्र सौंपा जावेगा। निर्धारित दिनों में शेष राशि जमा नहीं करने पर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। राशि जमा करने के उपरांत तथा वाहन का अधिकार पत्र सौंपने के पश्चात् रखरखाव/सुरक्षा की जिम्मेदारी इस कार्यालय की/जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की नहीं होगी बल्कि स्वयं निविदाकार की होगी।
04. वाहन का हस्तांतरण निविदाकार के नाम पर अपने स्वयं के व्यय एवं जवाबदारी पर आर.टी.ओ. से करानी होगी। जिस वाहन के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है उस वाहन का पंजीयन दस्तावेज का गुमशुदा प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय द्वारा दिया जावेगा।
05. वाहनों के विक्रय संबंधी समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगी जो सर्वमान्य होगी।
06. वाहन जहाँ है, जैसी स्थिति में है निविदाकार को अपने स्वयं के व्यय से एवं व्यक्त्था पर उठावेंगे।
07. वाहन दर्शित स्थल में कार्यालयीन समय में जहाँ है, जैसी स्थिति में है देखी जा सकती है। निर्धारित समय व तिथि में प्राप्त होने वाले निविदा को स्वीकार किया जावेगा, निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
08. निविदा स्वीकृति पश्चात् क्रेता को परिवहन विभाग से वाहन का नया पंजीयन नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होगा किसी भी स्थिति में शासकीय वाहन क्रमांक का उपयोग क्रेता द्वारा नहीं किया जावेगा।
09. प्राप्त निविदाएँ निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् अगले कार्य दिवस को दोपहर 3.30 बजे समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में खोली जावेगी चाहे तो निविदाकार उपस्थित रह सकते हैं।
10. प्रथम सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित समयावधि में वाहन नहीं लेने पर द्वितीय सफल निविदाकार को अर्थात् जिसका वाहन ऑफसेट प्राईज से अधिक हो उसे वाहन प्रदाय कर दिया जावेगा।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा, छत्तीसगढ़